1. सवाईराम पुत्र श्री हरलाल, जाति रबारी, [illegible]
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. श्रीदेवी पत्नी श्री परसाराम, जाति जाट, निवासी प्रतापनगर,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी – अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/7/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– तहसील ओसियां के ग्राम प्रतापनगर की सरहद में खसरा नम्बर 748 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 769 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 840 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 859 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की आई हुई है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अन्य खातेदारान की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। जिसका माप एवं सीमांकन अनुसार मौके व राजस्व रेकर्ड में कोई विभाजन किया हुआ नहीं है अंदाजिया कम ज्यादा भूमि पर खातेदारान का कब्जा व काश्त चला

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

आ रहा है हर खातेदार का हर इंच भूमि पर खातेदारी अधिकार है जिसमें से किसी भी खातेदार को किसी भी निश्चित भु–भाग का अलग से स्वामित्व नहीं है न ही बिना विभाजन करवाये बेचान इत्यादि करने का कोई अधिकार है वादग्रस्त भूमि दो किस्मों के रूप में विभक्त है कुछ भूमि सड़क के पास मुल्यवान उपजाउ भूमि है कुछ भूमि निम्न किस्म की कम उपजाउ रेतीली भूमि है। प्रार्थी को अपने हिस्से के अनुपात में अच्छे से अच्छी बुरे में से बुरी समान रूप से भूमि प्राप्त करने का हक व अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाये बिना अप्रार्थी संख्या 2 को खसरा नम्बर 748 में से 5 बीघा भूमि बेचान कर दी है जो एक अजनबी क्रेता है तथा वादग्रस्त भूमि में रोड़ के पास अच्छे किस्म की भूमि का कब्जा सुपुर्द करना चाहता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी निश्चित भू–भाग पर कब्जा व काश्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना कब्जा हस्तान्तरण किये खसरा नम्बर 748 में से भूमि बेचान बाबत् एक कागजी बेचान नामा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 02.08.2019 को निष्पादित किया है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है उक्त बेचान नामा शुन्य बेचान नामा की परिभाषा में आता है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण किसी निश्चित भू–भाग पर कब्जा इत्यादि नहीं करें न किसी अन्य से करावें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करें किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता घेवरराम विश्नोई उपस्थित तथा उनकी ओर से वकालात नामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खण्डित करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया बहस पर मनन किया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी

Scanned with CamScanner

संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा भूमि बेचान की है, बेचान नामा में वर्णित पड़ौस किसी निश्चित भू–भाग का नहीं है यानि सम्पूर्ण रकबे का है इसलिए बेचान नामा में कोई त्रुटि नहीं है। बेचान नामा विधिवत निष्पादित किया गया है, बेचान नामा में मौके पर कब्जा सुपुर्द करने का स्पष्ट उल्लेख है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी को किसी भी आधार पर प्रार्थी ने अपने वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र में चुनौती नहीं दिया है इसलिए एक रेकर्डेड खातेदार को अपनी भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 19/7/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner